छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय::
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

क्रमांक 159/2612/06/1/6   रायपुर,दिनांक 20/02/2006

प्रति,

1. सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय रायपुर

2. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

3. समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़।

विषयः–सूचना का अधिकार के तहत जिलों से प्राप्त मार्गदर्शन के संबंध में।

संदर्भः–राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक 2–33/05/सू.अधि./सात–1 दिनांक 07.11.05

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

क.	शंका	समाधान
1	आवेदक पंजीकरण हेतु, पंजी संधारण हेतु निर्धारित प्रारूप,क्या आपके द्वारा प्रदाय किया जायेगा या उसे प्रत्येक कार्यालय द्वारा स्वतः डेव्हलप कर उपयोग किया जाना है ? इस कार्यालय द्वारा विकसित एवं वर्तमान में उपयोग किया जा रहा प्रारूप,नमूना एवं तद्नुसार अनुमोदन हेतु संलग्न है ।	आवेदन पंजीकरण हेतु प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है ।
2	पंजीकरण हेतु कौन–सा वर्ष(कलेण्डर,राजस्व,वित्तीय आदि में से) उपयोग किया जायेगा ?	पंजीकरण हेतु कैलेण्डर वर्ष लिया जायेगा ।

3	सूचना के विभिन्न प्रकारों (कार्य या नस्ति का अवलोकन,नस्ति या अभिलेख की टीप लेना,प्रतिलिपि,प्रमाणित,विवरण,संग्रहित जानकारी प्रारूप आदि) के लिए क्या शुल्क पृथक–पृथक होगा ? यदि हाँ, तो कितना एवं क्या?	इसके लिए शुल्क निम्न प्रकार हैः– (क)<u>नस्ती अवलोकनः</u>– रू.50 प्रथम घंटा तदोपरान्त रू. 05 प्रति 15 मिनट (ख)<u>टीप लेनाः</u>– टीप आवेदक स्वतः लेगा, परन्तु समय का खर्च अवलोकन का लगेगा। (ग)<u>प्रतिलिपि / प्रमाणित प्रतिलिपिः</u>–रू. 02 प्रतिपेज (घ)<u>संग्रहित जानकारीः</u>–रू. 100 प्रतिपेज
4	यदि आवेदक द्वारा वांछित सूचना अनुतोष निर्धारित समय–सीमा में तैयार हो जाने एवं इसकी सूचना आवेदक को दे दिये जाने के उपरांत यदि आवेदक समय–सीमा मे अनुतोष प्राप्ति हेतु उपस्थित नहीं होता है तो आवेदन में क्या निराकरण / निर्णय लिया जायेगा ?	जानकारी लेने हेतु आवेदक को कार्यालय में आने की आवश्यकता नही। जानकारी डाक द्वारा भेजी जावे।
5	ऐसे आवेदन जिसमें आवेदक आवेदन उपरांत अनुतोष तैयार की जाने एवं सूचना दे दिये जाने पर उन्हे प्राप्त करने ही नही आता है तो ऐसे आवेदन क्या समय–सीमा 30 दिवस उपरांत नस्तिबद्ध कर दाखिल अभिलेखागार किये जा सकेंगे ?	उपरोक्त 4 जैसी कार्यवाही करें।
6	अध्याय–2 की धारा 7(3) के तहत् शुल्क (यदि कोई है तो) अप्रस्तुति की सूचना आवेदक को देने के उपरांत कितने दिन तक इंतजार किया जायेगा? सूचना उपरांत शुल्क अप्रस्तुत रहने पर आवेदन क्या समय–सीमा 30 दिवस उपरांत नस्तिबद्ध कर दाखिल अभिलेखागार किया जा सकेगा ?	इसमें कोई समय मर्यादा नही है । परंतु 30 दिवस में नस्तीबद्ध करना सही नही होगा।
7	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने का आदेश देने के उपरांत यदि कोई कार्यालय / अधिकारी / कर्मचारी / लोक अभिकरण सूचना उपलब्ध (क) नही कराता है या (ख) समय–सीमा में नही कराता है तो क्या प्रकिया एवं कार्यवाही होगी ?	अधिनियम की धारा 5(5) के अनुसार कार्यवाही करें।

2012

(नंद कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार)